(49)

बिहार सरकार
मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)
आदेश

पटना, दिनांक–.....

का0आ0सं0–EST-1680/4/2026-SEC_6-REPD-REG-...../– स्व0 श्री लक्ष्मण तिवारी तत्कालीन निम्नवर्गीय लिपिक, जिला निबंधन कार्यालय, पटना सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध साजिश के तहत् फ्लैटों की रजिस्ट्री कराने के लिए अपने पद का दुरूपयोग कर धोखा देकर नाजायज पैसा नहीं देने पर रजिस्ट्री नहीं करने की धमकी देकर घूस के रूप में रूपया वसूलने तथा सरकारी नियमों एवं प्रक्रियाओं का उल्लंघन कर अपने लाभ के लिए सरकारी राजस्व की क्षति पहुँचाने के आरोप में दर्ज निगरानी थाना काण्ड संख्या–079/2007 दिनांक–25.06.2007 के आलोक में संचालित विभागीय कार्यवाही में विभागीय आदेश संख्या–2243 दिनांक–30.05.2014 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 139 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत स्व0 श्री लक्ष्मण तिवारी सेवानिवृत निम्नवर्गीय लिपिक, का 50% (पचास प्रतिशत) पेंशन स्थायी रूप से अवरूद्ध किया गया। तदोपरांत उनके अपीलीय आवेदन पर विचार किया गया तथा विभागीय आदेश संख्या–3611 दिनांक–26.08.2014 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–27 कंडिका–2 उप–कंडिका–ग के अनुसार विभागीय आदेश संख्या–2243 दिनांक–30.05.2014 द्वारा अधिरोपित 50% (पचास प्रतिशत) पेंशन कटौती को समीक्षोपरांत संशोधित कर 25% (पच्चीस प्रतिशत) पेंशन कटौती का दण्ड अधिरोपित किया गया।

2. जिला निबंधन कार्यालय, वैशाली के पत्रांक–2906 दिनांक–19.09.2016 के द्वारा निगरानी थाना कांड संख्या–079/2007 दिनांक–25.06.2007 में प्राथमिकी अभियुक्त श्री लक्ष्मण तिवारी, सेवानिवृत, निम्नवर्गीय लिपिक से संबंधित विशेष वाद संख्या–50/2007 में दिनांक–30.07.2016 को पारित न्यायादेश की सत्यापित प्रति उपलब्ध करायी गयी जिसमें श्री तिवारी एवं अन्य को उनपर लगाये गये आरोपों से दोषमुक्त करार दिया गया था। उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक–5241 दिनांक–05.10.2016 द्वारा उक्त आवेदन को विचारोपरांत अस्वीकृत किया गया। पुनः श्री लक्ष्मण तिवारी, सेवानिवृत, निम्नवर्गीय लिपिक द्वारा माननीय विशेष न्यायाधीश, निगरानी के न्यायादेश के आलोक में पूर्ण पेंशन एवं बकाया वेतन का भुगतान करने का अनुरोध किया गया जिसे विभागीय पत्रांक–6128 दिनांक–07.12.2016 द्वारा विचारोपरांत अस्वीकृत किया गया।

3. उक्त आदेश के विरूद्ध श्री लक्ष्मण तिवारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लु0जे0सी0 सं0–2729/2017 (लक्ष्मण तिवारी बनाम् बिहार राज्य एवं अन्य) दायर किया गया, जिसमें दिनांक–02.02.2026 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः–

15. Not a single witness having been examined nor any document or the contents thereof marked exhibit or proved in course of the departmental proceeding the case is fit to be allowed on this point alone.

16. In view of the facts and circumstances stated above, the orders impugend dated 30.05.2014 the appellate order dated 26.08.2014 as also the two letters communicating the order to the petitioner i.e, letter dated 05-10-2016 and letter dated 07-12-2026 are all unsustainable and are hereby set aside.

17. The writ application is allowed with all consequential benefits which shall be paid to the petitioner within a period of three months from the date of receipt/ production of a copy of this order.

4. उक्त न्यायादेश के विरूद्ध एल0पी0ए0 दायर किये जाने के बिन्दु पर विधि विभाग के माध्यम से महाधिवक्ता, बिहार, पटना का परामर्श प्राप्त किया गया, जिसका मुख्य अंश निम्नवत् हैः–

"No ground for filing LPA is made out."

अतः महाधिवक्ता, बिहार, पटना से प्राप्त उक्त परामर्श के आलोक में सी0डब्लु0जे0सी0 सं0–2729/2017 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–02.02.2026 को पारित न्यायादेश के अनुपालन की बाध्यकारी स्थिति को देखते हुए विभागीय आदेश सं0–2243, दिनांक–30.05.2014 द्वारा श्री तिवारी के विरूद्ध अधिरोपित 25 प्रतिशत पेंशन कटौती के दण्ड को निरस्त किया जाता है।

इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– EST-1680/4/2026-SEC_6-REPD-REG- 3250/– पटना, दिनांक– 01.06.26

प्रतिलिपि–सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निबंधन महानिरीक्षक के प्रधान आप्त सचिव/महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना/समाहर्त्ता–सह–जिला निबंधक, पटना/डॉ0 संजय कुमार, उप निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना/सहायक निबंधन महानिरीक्षक, पटना प्रमण्डल, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना/प्रशाखा पदाधिकरी, प्रशाखा–06/आई0टी मैनेजर, मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/श्री आदर्श कुमार तिवारी, पिता–स्व0 लक्षमण तिवारी, सेवानिवृत, निम्नवर्गीय लिपिक, विस्कोमान कॉलोनी, संदलपुर, नियर ट्रैकॉन कोरियर, पो0–गुलजारबाग, थाना–आलमगंज, जिला–पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/6/26
सरकार के संयुक्त सचिव।
1/6/26